शासनादेश संख्या 479/65-2-98/-3/96 दिनांक 2-7-98 द्वारा संशोधनोपरान्त विकलांग व्यक्तियों से विवाह नियमावली का स्वरूप

1. संक्षिप्त नाम-

यह नियमावली विकलांग व्यक्तियों से विवाह करने पर शासन द्वारा दिये जाने वाले अनुदान हेतु प्रोत्साहन नियमावली 1997 कही जायेगी।

2. प्रारम्भ होने का दिनांक -

यह नियमावली 15-7-1997 से प्रवृत्त होगी।

3. परिभाषायें-

क. अनुदान से तात्पर्य अनुदान की उस धनराशि से है जो केवल एक बार ही स्वीकृत की जायेगी, जिसका भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा।

ख. सरकार का तात्पर्य उ0प्र0 सरकार से है।

ग. जिला मजिस्ट्रेट का तात्पर्य उस जिले के जिलाधिकारी/जिलामजिस्ट्रेट से है जिसके क्षेत्रीय अधिकारिता में कोई विशिष्ट दंपति, जो इस नियमावली के अधीन अनुदान का पात्र हो, स्थाई रूप से निवास करता है या अधिवासित है।

घ. विकलांग व्यक्ति से तात्पर्य विकलांग जन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा-2, उपधारा (बी) (आई) (एन), (ओ), (क्यू), (आर), (टी) तथा (यू) में विकलांगता की दी गई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों से है जिसे प्राधिकृत चिकित्सक ने किसी भी विकलांगता की श्रेणी में न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण-पत्र दिया हो :-

1. दृष्टिहीन/न्यून दृष्टि (ब्लाइंड/लो विजन)-

दृष्टि गोचरता का पूर्ण अभाव हो या चश्में के साथ 6/60 या 20/200 स्नेलेन से अधिक दृष्टि की तीक्ष्णता हो या दृष्टिक्षेत्र की सीमा 20 डिग्री के कोण के अक्षांतरकारी हो या उससे अधिक खराब हो या उपचार के बावजूद दृष्टि संबंधी कृत्य का ह्रास हो गया हो किन्तु वह उचित सहायक युक्ति से दृष्टि का उपयोग किसी कार्य के नियोजन अथवा निष्पादन हेतु करता हो या उपयोग करने में संभाव्य रूप से समर्थ हो।

2. मूक बधिर (हियरिंग इम्पेयरमेंट)-

60 डेसीबेल या उससे अधिक श्रवण शक्ति का ह्रास, संवाद संबंधी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कान हो।

3. शारीरिक अक्षम (लोकोमोटिव डिसेबिलिटी)-

शरीर की हड्डी जोड़ तथा मांसपेशियों में 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्ता के कारण शारीरिक अंगों की गतिशीलता पर्याप्त बाधित हो गई हो या शारीरिक विकास की बाल्यावस्था में मस्तिष्क के तिरस्कार या क्षति से असामान्य शारीरिक विकृति पैदा हो गई हो।

4. मानसिक मंदता (मेन्टल रिटार्डेशन)-

मस्तिष्क के अवरूद्ध या अपूर्ण विकास के कारण विशेषतः बुद्धिमत्ता का स्तर सामान्यतया से निम्न हो।

5. मानसिक रोगी (मेंटल इलनेस)-

मानसिक मंदता से भिन्न अन्य किसी भी प्रकार का मानसिक विकार।

6. कुष्ठ रोग से मुक्त (लेप्रोसी क्योर्ड)-

जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया हो किन्तु हाथों पैरों मं संवेदना की कमी हो तथा नेत्र और पलकों में भी संवेदना (सेंसेशन) न हो, किंतु कोई प्रगट निरूपता न हो या प्रगट विरूपांगता ग्रस्त हो, किंतु हाथ पैरों में पर्याप्त गतिशीलता हो, जिससे सामान्य आर्थिक क्रिया कलाप कर सकता हो।

ङ सामान्य युवक/युवती का तात्पर्य ऐसे युवक युवतियों से है जिनमें उक्त इंगित किसी प्रकार की विकलांगता न हो। विकलांग युवक/युवती का तात्पर्य ऐसे युवक/युवतियों से है जिनमें उक्त इंगित किसी प्रकार की विकलांगता हो।

च. सक्षम चिकित्साधिकारी से तात्पर्य उस चिकित्साधिकारी से है, जिसे सरकार द्वारा समय-समय पर पात्र व्यक्तियों को विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु अधिकृत किया गया हो।

4- पात्रता

नियमावली में दी गयी शर्तों के अधीन किसी दंपत्ति को अनुदान देने के लिए पात्रता निम्नलिखित शर्तों पर निर्भर होगी:-

1. दंपत्ति भारत का नागरिक हो।
2. दंपत्ति उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी या कम से कम पाँच वर्ष से उसका अधिवासी हो।
3. दंपत्ति में से कोई सदस्य किसी आपराधिक मामलें में दंडित न किया गया हो।
4. शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम 45 वर्ष से अधिक न हों
5. दंपत्ति का विवाह सामान्य युवक/युवती अथवा विकलांग से प्रचलित समाज की रीति-रिवाज के अनुसार हुआ हो या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी विवाह किया गया हो।
6. दंपत्ति में से कोई सदस्य आयकरदाता की श्रेणी में न हो।
7. जिसके पास पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न हो और उनके ऊपर महिला उत्पीडन या अन्य आपराधिक वाद न चल रहा हो।

5. अनुदान देने की शर्तें

(1) अनुदान पात्र दंपत्ति को संयुक्त रूप से देय होगा और केवल एक बार दिया जायेगा।

(2) इस नियमावली के अधीन अनुदान प्राप्त करने वाले विवाहित दंपत्ति में किसी सदस्य द्वारा तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन न्यायिक पृथक्करण/विवाह विच्छेद या विवाह विघटन कर लेने पर दंपत्ति अनुदान की संपूर्ण धनराशि सरकार को प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होंगे और वह भूराजस्व की भाँति वसूल होगी।

(3) यदि बिना किसी न्यायसंगत कारण के और विवाह के दिनांक से प्रारम्भ होकर पांच वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी दंपत्ति के वैवाहिक संबंध टूट जाते हैं तो अनुदान की संपूर्ण धनराशि भूराजस्व की भाँति वसूल की जायेगी।

6. अनुदान की धनराशि

(1) अनुदान की धनराशि दंपत्ति में युवक के विकलांग होने पर सामान्य युवती द्वारा विवाह करने पर ग्यारह हजार रूपये होगी।

(2) अनुदान की धनराशि दंपत्ति में युवती के विकलांग होने पर सामान्य युवक द्वारा विवाह करने पर केवल चौदह हजार रूपये होगी।

(3) अनुदान की धनराशि दंपत्ति (युवक युवती दोनों) के विकलांग होने की दशा में विवाह करने पर केवल चौदह हजार रूपये होगी।

7. अनुदान के लिए आवेदन पत्र देने की विधि

(1) अनुदान के लिए आवेदन पत्र परिशिष्ट-1 में विहित प्रपत्र में जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा और उस पर यथास्थिति उसकी पत्नी या उसके पति द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा या उसकी पत्नी या उसके पति का अंगूठा लगा हो और उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगाये जायेगें :-

(एक)- सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा दंपत्ति में से किसी सदस्य अथवा दंपत्ति में दोनों के विकलांग होने पर दोनों सदस्यों को दिया, गया विकलांगता प्रमाण-पत्र।

(दो) विवाह संबंधी विवरण (ग्राम प्रधान/सदस्य/अध्यक्ष, जिला परिषद/स्थानीय विधायक/सांसद/राजपत्रित अधिकारी/सभासद/अध्यक्ष टाउन एरिया/नगर निगम द्वारा प्रमाणित)

(तीन) आवेदक और उसकी पत्नी या पति द्वारा परिशिष्ट 2 में विहित प्रपत्र में रू0 पांच के स्टाम्प पत्र (न्यायिक) पर हस्ताक्षरित करार।

(चार) आवेदन पत्र पर वर तथा वधू के नवीनतम फोटोग्राफ, ग्राम प्रधान, सभासद या राजपत्रित अधिकारी या 7 (2) में उल्लिखित किसी भी पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित कराकर चस्पा करना होगा।

(2) जिला विकलांग कल्याण अधिकारी प्राप्त आवेदन-पत्र की आवश्यक संमीक्षा करने के पश्चात ऐसे दंपत्ति के जिन्हें वह अनुदान प्राप्त करने के लिये पात्र समझे, आवेदन पत्र को सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी सिफारिश जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट को स्वीकृति हेतु अग्रसारित करेंगे।

8- अनुदान स्वीकृत व अधिकार

(1) अनुदान स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार संबंधित जिला अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट उ0प्र0 में निहित होगा।

(2) शासन द्वारा अनुदान की धनराशि निदेशक विकलांग कल्याण उ0प्र0 को उपलब्ध कराई जायेगी तथा वह आवश्यकतानुसार जनपदों में धनराशि का आवंटन करेंगे। प्रदेश स्तर पर धनराशि का लेखा-जोखा निदेशक विकलांग कल्याण उ0प्र0 द्वारा रखा जायेगा तथा जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि का लेखा-जोखा जिला विकलांग कल्याण अधिकारी द्वारा रखा जायेगा। शासन द्वारा उपलब्ध कराई गयी धनराशि की शर्तो का पालन निदेशक विकलांग कल्याण सुनिश्चित करेंगे तथा इसका उपयोग प्रमाण-पत्र शासन को यथासंभव उपलब्ध करायेंगे।

विकलांग व्यक्तियों से विवाह करने पर अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र

अभ्यर्थियों की प्रमाणित फोटो

1. नाम सहित वर्तमान पता- (क) पति
   (ख) पत्नी
2. विवाह के पूर्व पूरा पता- (क) पति
   (ख) पत्नी
3. राष्ट्रीय, धर्म, जाति (क) पति
   (ख) पत्नी
4. विवाह विवरण :-
   (1) विवाह के समय आयु (क) पति
   (ख) पत्नी
   (2) विवाह सम्पन्न होने का दिन
   (3) विवाह का विस्तृत विवरण
   (क) क्या विवाह पंजीकृत हुआ है ? यदि हाँ तो उसकी संख्या तथा दिनांक एवं उस कार्यालय का नाम जहाँ विवाह पंजीकृत हुआ।
   (ख) विवाह किसे धार्मिक रीति से सम्पन्न हुआ है? इस सम्बंध में प्रमाण। साक्ष्य क्या है ?
   (ग) विवाह की वैधता को प्रमाणित करने के लिए अन्य कोई साक्ष्य, यदि हो।
   (घ) उन दो जिम्मेदार व्यक्ति के नाम तथा पते जिनकी उपस्थिति में विवाह सम्पन्न हुआ-
   (अ) नाम
   पता
   (ब) नाम
   पता
5. व्यवसाय- (क) पति
   (ख) पत्नी
6. पति के पिता का नाम- (क) उनका पता तथा व्यवसाय (यदि मृत्यु हो चुकी हो तो अन्तिम पता तथा व्यवसाय)
   (ख) उनकी राष्ट्रीयता, धर्म, जाति तथा उपजाति।
7. पत्नी के पिता का नाम- (क) उनका पता तथा व्यवसाय यदि मृत्यु हो चुकी हो तो अन्तिम पता तथा व्यवसाय)

8. उत्तर प्रदेश में निवास का समय-

(क) पति

(ख) पत्नी

9. संलग्नों का विवरण- (1) उम्र का प्रमाण-पत्र संलग्नक संख्या-अवलोकीनीय।

(2) आय का प्रमाण-पत्र संलग्नक संख्या अवलोकनीय।

(3) विवाह का प्रमाण-पत्र संलग्नक संख्या अवलोकनीय।

(4) अधिवास प्रमाण-पत्र संलग्नक संख्या अवलोकनीय।

(5) विकलांगता का प्रमाण-पत्र संलग्नक संख्या अवलोकनीय।

हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा पूर्वक शपथ लेते है कि उपरोक्त तथ्य शुद्ध एवं ठीक है तथा हमने विकलांग व्यक्तियों से विवाह करने पर शासन द्वारा दिये जाने वाले अनुदान/ प्रोत्साहन नियमावली, 1997 को भली-भाँति देख लिया है तथा हम उसका पूर्णतया पालन करेंगे।

दिनांक.....

पति का हस्ताक्षर.....

पत्नी के हस्ताक्षर.....

परिशिष्ट-2

करार विलेख (जुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर होगा)

हम-1 (पति).....पुत्र श्री.....निवासी.....

2- (पत्नी).....

एतद्द्वारा पति पत्नी के रूप में रहने के सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा करते हैं और व्यतिक्रम की स्थिति में अनुदान की समस्त धनराशि भू-राजस्व की बकाया की भाँति सरकार को वापस करने के उत्तरदायी होंगे।

पति के हस्ताक्षर.....

पत्नी के हस्ताक्षर.....

संख्या–558/65-2-98-3/96

प्रेषक,

श्री एन.एस.यादव
उप सचिव, उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विकलांग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

विकलांग कल्याण-2 लखनऊ : दिनांक 10.7.98

विषय : सामान्य युवक युवतियों द्वारा विकलांग व्यक्ति से विवाह करने पर प्रोत्साहन नियमावली 1997 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0 499/65-2-98-3/96 दिनांक 3-7-98 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र के साथ प्रेषित नियमावली के वर्तमान स्वरूप के अंतर्गत नियम-2 (प्रारम्भ होने का दिनांक) को निम्नवत् पढ़ा जाये प्रारम्भ होने का दिनांक -2 यह नियमावली 15-7-97 से प्रवृत्त होगी। नियम 6 (2) (3) दिनांक 2-7-98 से लागू होगा।

भवदीय
(एन.एस. यादव)
उप सचिव।

महत्वपूर्ण
संख्या-248/65-2-2004

प्रेषक,

श्री रोहित नंदन
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विकलांग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

विकलांग कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 13 फरवरी, 2004

विषय :- विकलांग व्यक्तियों से विवाह करने पर शासन द्वारा अनुदान दिए जाने वाले अनुदान के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विकलांग व्यक्तियों से विवाह करने पर अनुदान हेतु जनपद में प्राप्त आवेदन पत्रों को प्राप्ति की तिथि के अनुसार एक रजिस्टर में अंकित किया जाए, तथा उपलब्ध बजट से "प्रथम आओं प्रथम पाओ" के सिद्धान्त पर ही नियमानुसार अनुदान का वितरण सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी प्रकार का विचलन अनुमन्य नहीं होगा।

कृपया इस सम्बन्ध में समस्त जिला विकलांग कल्याण अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय
(रोहित नन्दन/सचिव)

निदेशालय विकलांग कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक सी-3069/वि0क0/यो0/2003-04 लखनऊ : दिनांक 28 फरवरी, 2004

समस्त जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

महोदय,

कृपया शासन के उक्त निर्देशों के अनुरूप प्रश्नगत योजना में कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(शिव नन्दन प्रसाद)
अपर निदेशक/कृते निदेशक